न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2019

अपीलांट

1. लक्ष्मी पुत्री गोमा, जाति– कीर, निवासी मानपुरा, तहसील पाली, जिला पाली के कायम मुकाम

   1/1 भोमाराम पुत्र श्री पेमाराम, दोहिता गोमा
   1/2 ओमाराम पुत्र श्री पेमाराम, दोहिता गोमा जातिगण कीर निवासीगण अजीज बा की ढाणी पिचियाक, जिला जोधपुर

2. अणची पुत्री गोमा, जाति– कीर, निवासी मानपुरा, तहसील पाली, जिला पाली के कायम मुकाम

   2/1 बुधाराम पुत्र श्री बालुराम, दोहिता गोमा
   2/2 ओमप्रकाश पुत्र श्री बालुराम, दोहिता गोमा
   2/3 शंकरलाल पुत्र श्री बालुराम, दोहिता गोमा
   2/4 पाबुबाई पुत्री श्री बालुराम, दोहिती गोमा

जातिगण कीर, निवासीगण जसवंतपुरा पिचियाक, जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली राजस्थान**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30-03-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, पाली के द्वारा पत्रावली संख्या क्रमांक/पीए/89/ में पारित आदेश दिनांक 22.05.1989 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 358/139 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कृर्षि भूमि गोमा पुत्र वरदा के खातेदारी की स्थित रही है। जो ग्राम मानपुरा की है। उक्त कृर्षि भूमि का म्यूटेशन गोमा की मृत्यू के बाद पुत्र दुर्गाराम के नाम स्वीकृत हुआ जबकी अपीलान्ट अणची व लक्ष्मी पिता गोमा की मृत्यु के समय जिवित थी। जो म्यूटेशन संख्या 325 दुर्गाराम के अकेले के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, यह विधि विरूद्व है। उक्त म्यूटेशन आदेश के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर, पाली में अपील संख्या 14/2009 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 28.02.2021 को हुआ तथा न्यायालय द्वारा म्यूटेशन संख्या 325 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्व संभागीय आयुक्त जोधपुर में द्वितीय अपील एंव रेवेन्यू बार्ड अजमेर में निगरानी की गई जिसके निगरानी संख्या 268/16 तथा निर्णय दिनांक 27.01.2021 को हुआ जिसमे उपखण्ड अधिकारी, पाली का निर्णय बहाल रखा तथा म्यूटशेन संख्या 325 खारिज करना वैध माना। इस तरीके से अपीलान्ट लक्ष्मी व अणची के हित व अधिकार होना निर्णित रहा है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलाधिन खसरा सख्या 358/139 ग्राम मानपुरा का उपखण्ड अधिकरी, पाली द्वारा दिनांक 15.05.1989 को आबादी घोषीत करने का आदेश पारित किया गया, उक्त खसरे की भूमि अपीलान्ट की थी व है। इस कारण आबादी में सम्पपरिवर्तन करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी, पाली को नही था। ग्राम पंचायत हेमावास के ग्राम मानपुरा के खसरा संख्या 241 रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा भूमि आबादी में घोषित की गई तथा उक्त भूमि में से 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि हेमावास बांध के पेटे में आने से अपीलान्ट की कृर्षिभूमि के खसरा संख्या 358/139 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि खसरा सख्या 241 की जगह आबादी में परिवर्तन करने का आदेश पारित किया गया। उक्त भूमि न तो राजकीय सिवाय चक थी, नही अपीलान्ट द्वारा इस भूमि को सिवाय चक करने तथा आबादी में सम्परिवर्तन करने का सहमती पत्र दिया, नही स्वीकृती दी, इस कारण अपीलाधिन कृर्षिभूमि को आबादी में परिवर्तन करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट को नही था। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलाधीन खसरा संख्या 358/139 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे अपीलान्ट के हित है, अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। अपीलान्ट के हित समाप्त नही हुये है तथा गोमाजी की मृत्यू के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट का हित निहित हो चुके है, तथा

हक हकूक है। अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि को राजकीय सिवाय चक दर्ज करने हेतु तहसीलदार को न तो सुपुर्द की, न ही इस्तीफा दिया, न ही हक समाप्त किया। इस कारण अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलान्ट के खसरे की भूमि को आबादी में परिवर्तन किया है जो विधि विरूद्व है, जो निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम म्यूटेशन भरे जाने का आदेश फरमावे। उक्त खसरे को आबादी में परिवर्तन करने हेतु अपीलान्ट को अथवा मुल खातेदार को नोटिस नही दिया गया, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट को अपने सबुत पेश करने का अवसर नही दिया गया, अपीलान्ट के कब्जे काश्त की जॉच नही की गई, सार्वजनिक सुचना पत्र जारी नही किया गया, अखबार में नोटिस साया नही किया गया। अनापत्ती पत्र प्राप्त नही किया गया, ना ही ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधिन खसरे की भूमि को आबादी में परिवर्तन करने हेतु मांग की गई। उक्त भूमि आबादी के लिये प्राप्त होने योग्य नही थी, बिना पत्रावली कायम किये एक ही दिन में आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश निरस्त किया जावे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना पत्रावली कायम किये एक ही दिन में बिना प्रक्रीया अपनाये आबादी में परिवर्तन करने का आदेश पारित किया गया। उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा सरेण्डर नही की गई। इसलिये बिना प्रक्रीया अपनाये, बिना नियमो की पालना किये, बिना अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त किये, जो एक्सचेजं के रूप में आबादी में परिवर्तन करने का आदेश पारित किया गया है, जो उक्त आदेश विधि के विरूद्व होने के कारण निरस्त होने योग्य है। इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकार अपीलान्ट के नाम म्यूटेशन भरे जाने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधी अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 27.01.2021 राजस्व मण्डल, अजमेर में निर्णय हुआ उसके बाद प्रार्थी के नाम से म्यूटेशन स्वीकृत किया जाना था, तत्समय यह स्थिती रही कि उक्त भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। इस पर प्रार्थी द्वारा आबादी हेतु आवंटन के आदेश की जानकारी प्राप्त की तथा बाद जानकारी के दिनांक 17.02.2021 को नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल दिनांक 19.02.2021 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होते ही जानकारी से अपील अन्दर मयाद पेश है। प्रार्थी कि ओर से लगातार इस प्रकरण की कार्यवाहियों मे भाग लिया गया है तथा दिनांक 27.01.2021 को निर्णय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय हुआ है, इस कारण से प्रार्थी (अपीलान्ट) द्वारा जानबुझकर न तो लापरवाही बरती है, नही देरी की है, देरी का युक्ति युक्त तथा सद्भावी कारण है। प्रार्थी (अपीलान्ट) अपील को मेरीट पर विचारण करवा कर निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी (अपीलान्ट) कानुनी पैचीदगियो से अन्नभिज्ञ है, प्रार्थी (अपीलान्ट) द्वारा जानबुझकर देरी नही की है, देरी का युक्ति युक्त कारण है। इस कारण से जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी पूर्व से है। अपील मयाद बाहर पेश की है। जो चलने योग्य नही है। उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा पत्रावली क्रंमाक/पी.ए./89 दिनांक 22.05.1989 में जो आदेश पारित किया है, यह सही है। उक्त खसरा की भूमि आबादी में दर्ज है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि ग्राम मानपुरा, तहसील पाली के खसरा संख्या 358/139 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खातेदार गोमा पुत्र वरदा थे। खातेदार गोमा का देहान्त पश्चात् ग्राम पंचायत के द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 325 में मात्र उनके पुत्र दूर्गाराम का ही नाम अंकन करते हुये दिनांक 17.04.1985 को स्वीकृत किया जाना प्रकट है। उक्त नामान्तकरण संख्या 325 को उपखण्ड अधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा अपने आदेश से अपीलाधीन खसरा संख्या के नामान्तकरण संख्या 325 दिनांक 28.02.2011 को निरस्त कर दिया। तथा तहसीलदार पाली को उक्त खसरान् के मृतक गोमा के समस्त उत्तराधिकार की पूर्ण जॉच करने तथा उल्लेखित खसरान् से हितबद्व संबधित पक्षकारान् को समुचित अवसर देने के पश्चात् नये सिरे से नामातंरण दर्ज करने के आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के खिलाफ न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर में द्वितीय अपील संख्या 173/2012 प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर ने दिनांक 19.10.2015 को आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी, पाली के आदेश को यथावत रखा व न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी निगरानी संख्या निगरानी/एलआर/268 में दिनांक 27.01. 2021 को आदेश पारित कर न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एंव उपखण्ड अधिकारी, पाली के आदेश को यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं वकील अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली) से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे अति. सिविल न्यायालय पाली में रजिस्ट्री निरस्तीकरण का पृथक से वाद विचाराधीन चल रहा है। उक्त वाद के अन्तर्गत अति. सिविल न्यायालय पाली द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2013 को रजिस्ट्री को फर्जी मानकर के निरस्त किया गया। इन समस्त तथ्यो को अनदेखी की गई, जो कि अधीनस्थ कार्मिको की लापरवाही रही है। अतःत्तसमय जो राजस्व कार्मिक रहे उनको इस गंभीर लापरवाही पर उनके विरूद्ध पृथक से कार्यवाही की जानी चाहिए जिन्होने एक गरीब किसान को संकट मे डाला है। फौजदारी मुकदमा एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

03/2021

लक्ष्मी के का.मु.भोमाराम वगैरह बनाम सरकार

पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.08.2013 के जो इस अपीलीय निर्णय का अभिन्न अंग है के अध्याधीन में पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किये एवं स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 396 को तथा इस नामांतरकण द्वारा जो जमाबंदी में संवंत् 2044 से 2047 तक की प्रविष्टि की गई, फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर बने खातेदार की ओर से दायर समर्पण प्रार्थना पत्र को भी जो कि माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन विधि विरूद्ध था को तथा साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तहसीलदार द्वारा समर्पण आदेश राजस्व/134 दिनांक 15.03.89 जिसके द्वारा भूमि सिवायचक की गई एवं दर्ज किये गये नामांतकरण संख्या 396 व 428 को व उपखंड अधिकारी द्वारा सैट अपार्ट किये गये साथ ही विधि विरूद्ध आदेश क्रमांक/पी.ए./89 दिनांक 22.05.89 को माननीय अति. सिविल न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के अध्याधीन प्रकरण की समस्त प्रविष्ठियों एवं आदेशों को शून्य घोषित किया जाता है। जिसके फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक/पी.ए./89 दिनांक 22.05.89 को अपास्त किया जाता है। अतः माननीय अति0 सिविल न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के अध्याधीन अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का पूर्व में भूमि निजी खातेदारी की होने के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है। जिसमे तसीलदार 15 दिवस में निर्णयनुसार पालना करके विधिवत पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
30/03/2021